ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

1-6 SEP 2016

University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi - 110002

SPEED POST

No.F1-130/2015(VIP/PS)

September 2016

The Registrar
Uttarakhand Open University
Teenpani Bypass Road,
T.P.Nagar, Haldwani - 263139(Nainital)

Subject : Permission for M.Phil/Ph.d programme under regular mode as per UGC Regulations 2016 - reg.

Sir,

This is with reference to your letter No. UOU/R1/DEB/458 dated 24.8.2016 submitting therewith an affidavit fully notarized by R.No. 22(10)/2006 dated 23.8.2016 signed by Sh.R.C.Mishra, presently working as Registrar of your University to the effect that University will strictly follow UGC (Minimum Standards and procedure for Award of M.Phil/Ph.D) Regulations 2016 and will be abide all its clauses in toto.

In this context, I am directed to convey the permission to start M.Phil/Ph.D programme under regular/part-time mode subject to the condition that the essential clauses of UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulations 2016 (copy enclosed) pertaining to eligibility criteria for admission to M.Phil/Ph.D programme, duration of programme, procedure for admission, allocation of Research Supervisor, Course Work, Research Advisory Committee, Evaluation and Assessment Methods and Depository with INFLIBNET must be followed in letter and spirit .

In case if there is any deviation in implementing the clauses of UGC Regulations, 2016, the permission would be deemed to be treated as withdrawn. Above permission is subject to the condition that Act/ Statute/ Ordinance/Rule of University provide for the same.

Yours faithfully

(Satish Kumar)
Under Secretary

Encl : As above

कृपया पत्रावली में संलग्नित रखें।
12/9/16

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आषाढ़ 14, 1938
No. 278] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ASADHA 14, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016

{11 से 17 जुलाई, 2009 के सप्ताह में भारत के राजपत्र (संख्या 28, भाग–III, धारा–4) में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/ पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रतिस्थापन में}

मि0 सं. 1–2/2009 (ई0 सी0/पी0 एस0) V (I) Vol. II.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956(1956 का 3) की धारा 26 की उप–धारा (1) तथा खंड (च) और (छ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों तथा 11 से 17 जुलाई, 2009 के सप्ताह में भारत के राजपत्र (संख्या 28, भाग–III, धारा–4) में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/ पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत विनियम सृजित करता है, नामतः–

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/ पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

1.2 वे ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित हैं, तथा ऐसा प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय एवं जो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय संस्थान है।

1.3 सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से ये विनियम लागू माने जाएंगे।

2. एम0फिल0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंडः

2.1 एम0फिल0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यावसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम कुल 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त हुए हों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक संस्थानों की

5.2.1 वार्षिक आधार पर अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से पूर्व निर्धारित तथा संतुलित संख्या में एम0फिल0 और/अथवा पीएच0डी0 शोधार्थी को दाखिला देगा जो कि उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं पर निर्भर करेगी, तथा विद्वान शिक्षक अनुपात (जैसा पैरा 6.5 में दर्शाया गया है) प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं के संबंध में मानदण्ड को ध्यान में रखा जाएगा;

5.2.2 दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदण्ड, दाखिले की प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संगत जानकारी संस्थागत वेबसाइट तथा कम से कम दो (2) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पहले ही जारी करें जिनमें से एक (01) समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में हो;

5.2.3 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन करें।

5.3 दाखिले, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदण्ड के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकारों की आरक्षण नीति को मद्देनजर रखते हुए किये जाएंगे।

5.4 उपर्युक्त उपखण्ड 1.2 में संदर्भित संस्थान तथा महाविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला देंगे:

5.4.1 प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी जिसमें 50% अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यविवरण में 50% शोध पद्धति तथा 50% विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा पहले ही अधिसूचित केन्द्र (यदि केन्द्रों में कोई परिवर्तन होता है तो पर्याप्त समय पूर्व उसकी जानकारी पृथक संस्थान/महाविद्यालय को दी जानी चाहिए) जो कि सम्बद्ध उच्च शैक्षिक संस्थान के स्तर पर हो, जैसा कि धारा 1.2 में संकेत दिया गया है; एवं

5.4.2 जिस समय अभ्यर्थियों के लिए उनके शोध रुचि/क्षेत्र पर कोई चर्चा एक विधिवत् गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण माध्यम से की गई हो तो उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा एक साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार संचालित किया जाएगा जैसा कि उपरोक्त धारा 1.2 में संकेत दिया गया है।

5.5 साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा, अर्थात् क्या:

5.5.1 क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है;

5.5.2 प्रस्तावित शोधकार्य सुलभतापूर्वक संस्थान/महाविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है;

5.5.3 प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।

5.6 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर एम0फिल0/पीएच0डी0 के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि शामिल होंगे।

6. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण: शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक अनुमेय एम0फिल0/पीएच0डी0 शोधार्थियों की संख्या आदि।

6.1 मानित विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पांच शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय संस्थान/महाविद्यालय का कोई नियमित सह/सहायक आचार्य जो पीएच0डी0 उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विधाओं में जहां कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हों अथवा केवल सीमित संस्था में संदर्भित पत्रिका हो, तो संस्थान किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

6.2 केवल संबधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है। तथापि, उसी संस्थान के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबद्ध संस्थानों से अंतर–विषयी क्षेत्रों में सह–पर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

6.3 किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा विद्वानों की शोध रुचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

6.4 ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं, जहां संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिनपर आपस में सहमति बनेगी।

सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर संस्थान/महाविद्यालय को इसकी सिफारिश कर सकती है।

9. उपाधि आदि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि

9.1 एम0फिल0. उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधी अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होंगी।

9.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त तथा उपर्युक्त 7.8 उप धाराओं में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला हो, एम0फिल0/पीएच0डी0

शोधार्थी द्वारा शोध कार्य आरंभ करना अपेक्षित होगा तथा इन विनियमों के आधार पर संबंधित संस्थान द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समय में एक मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस जमा करना होगा।

9.3 शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी संबंधित संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकर समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए।

9.4 मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व एम0फिल0 शोधार्थी किसी सम्मेलन/संगोष्ठी में कम से कम एक (01) शोध पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पीएच0डी0 शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम (01) शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबन्ध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व, सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो पेपर प्रस्तुत करेगा तथा इनके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

9.5 संस्थान की शिक्षा परिषद् (अथवा इसके समकक्ष निकाय), सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल–कपट का पता लगायेगी। शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9.6 किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये एम0फिल0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम एक ऐसे बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाएगा जो संस्थान/महाविद्यालय में नियोजित नहीं हो। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक साक्षात्कार, दोनों परीक्षकों द्वारा एक साथ किया जाएगा, जिसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग के संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी एवं इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

9.7 शोधार्थी द्वारा जमा किए गए पीएच0डी0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संस्थान/महाविद्यालय में नियोजित न हों, जिनमें से एक परीक्षक विदेश से भी हो सकता है। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपार्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

9.8 शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस/पर बाह्य परीक्षक(ों) की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। एम0फिल0 शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा पीएच0डी0 शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर संस्थान परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

9.9 संस्थान उपर्युक्त पद्धति विकसित करेंगे ताकि शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर एम0फिल0 शोध प्रबंध/पीएच0डी0 शोध प्रबंध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

10. एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं

10.1 महाविद्यालयों को केवल उस स्थिति में एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने हेतु पात्र माना जाएगा जब वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों की उपलब्धता, अपेक्षित अवसंरचना और सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं होने के संबंध में संतुष्ट कर पाएंगे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2016

University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.PHIL./PH.D Degrees) Regulations, 2016

{In supersession of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2009, notified in The Gazette of India [No. 28, Part III- Section 4] for the week July 11-July 17, 2009}

No. F. 1-2/2009(EC/PS)V(I) Vol. II - In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2009, notified in The Gazette of India [No. 28, Part III-Section 4] for the week July 11 — July 17, 2009, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely:-

1. **Short title, Application and Commencement:**

1.1 These Regulations may be called University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulations, 2016.

1.2. They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act , every affiliated college, and every Institution Deemed to be a University under Section 3 of UGC Act, 1956.

1.3 They shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

2. **Eligibility criteria for admission to the M.Phil. programme:**

2.1 Candidates for admission to the M.Phil. programme shall have a Master's degree or a professional degree declared equivalent to the Master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.

2.2 A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC(non-creamy layer)/Differently-Abled and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time, or for those who had obtained their Master's degree prior to 19th September, 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.

3. **Eligibility criteria for admission to Ph.D.programme:**

Subject to the conditions stipulated in these Regulations, the following persons are eligible to seek admission to the Ph.D. programme:

3.1 Master's Degree holders satisfying the criteria stipulated under Clause 2 above.

3.2 Candidates who have cleared the M.Phil. course work with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and successfully completing the M.Phil. Degree shall be eligible to proceed to do research work leading to the Ph. D. Degree in the same Institution in an integrated programme. A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC(non-creamy layer)/differently-abled and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

subject specific. The Entrance Test shall be conducted at the Centre(s) notified in advance (changes of Centres, if any, also to be notified well in advance) at the level of the individual HEI as mentioned in clause 1.2; and

5.4.2 An interview/*viva-voce* to be organized by the HEI as mentioned in clause 1.2 when the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted Department Research Committee.

5.5 The interview/*viva voce* shall also consider the following aspects, viz. whether:

5.5.1 the candidate possesses the competence for the proposed research;

5.5.2 the research work can be suitably undertaken at the Institution/College;

5.5.3 the proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.

5.6 The University shall maintain the list of all the M.Phil. / Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, topic of his/her research, name of his/her supervisor/co-supervisor, date of enrolment/registration.

6. Allocation of Research Supervisor: Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co- Supervisor, Number of M.Phil./Ph.D. scholars permissible per Supervisor, etc.

6.1 Any regular Professor of the University/Institution Deemed to be a University/College with at least five research publications in refereed journals and any regular Associate/Assistant Professor of the university/institution deemed to be a university/college with a Ph.D. degree and at least two research publications in refereed journals may be recognized as Research Supervisor.

Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the Institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.

6.2 Only a full time regular teacher of the concerned University/Institution Deemed to be a University/College can act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the same institute or from other related institutions with the approval of the Research Advisory Committee.

6.3 The allocation of Research Supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor, the available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/*viva voce*.

6.4 In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Research Supervisor from the Department itself, who shall be known as the Research Supervisor, and a Co-Supervisor from outside the Department/ Faculty/College/Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions/Colleges.

6.5 A Research Supervisor/Co-supervisor who is a Professor, at any given point of time, cannot guide more than three (3)M.Phil. and Eight (8) Ph.D. scholars. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of two (2) M.Phil. and six (6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of one (1) M.Phil. and four (4) Ph.D. scholars.

6.6 In case of relocation of an M.Phil/Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.

7. Course Work: Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.

7.1 The credit assigned to the M.Phil. or Ph.D. course work shall be a minimum of 08 credits and a maximum of 16 credits.

and produce a draft dissertation/thesis within a reasonable time, as stipulated by the Institution concerned based on these Regulations.

9.3 Prior to the submission of the dissertation/thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee of the Institution concerned which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the Research Advisory Committee.

9.4 M.Phil scholars shall present at least one (1) research paper in a conference/seminar and Ph.D. scholars must publish at least one (1) research paper in refereed journal and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the dissertation/thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.

9.5 The Academic Council (or its equivalent body) of the Institution shall evolve a mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the dissertation/thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work was carried out, or to any other Institution.

9.6 The M.Phil. dissertation submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least one external examiner who is not in the employment of the Institution/College. The *viva-voce* examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by both of them together, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/ researchers.

9.7 The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners, who are not in employment of the Institution/College, of whom one examiner may be from outside the country. The *viva-voce* examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the Research Supervisor and at least one of the two external examiners, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/researchers.

9.8 The public *viva-voce* of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the *viva-voce* examination. If the evaluation report of the external examiner in case of M.Phil. dissertation, or one of the evaluation reports of the external examiner in case of Ph.D. thesis, is unsatisfactory and does not recommend *viva-voce*, the Institution shall send the dissertation/ thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the *viva-voce* examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of the latest examiner is also unsatisfactory, the dissertation/ thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

9.9 The Institutions shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of M.Phil. dissertation/ Ph.D. thesis within a period of six months from the date of submission of the dissertation/thesis.

Academic, administrative and infrastructure requirement to be fulfilled by Colleges for getting recognition for offering M.Phil./Ph.D. programmes:

10.1 Colleges may be considered eligible to offer M.Phil./Ph .D programmes only if they satisfy the availability of eligible Research Supervisors, required infrastructure and supporting administrative and research promotion facilities as per these Regulations.

10.2 Post-graduate Departments of Colleges, Research laboratories of Government of India/State Government with at least two Ph.D. qualified teachers/scientists/other academic staff in the Department concerned along with required infrastructure, supporting administrative and research promotion facilities as per these Regulations, stipulated under sub-clause 10.3, shall be considered eligible to offer M.Phil./Ph.D. programmes. Colleges should additionally have the necessary recognition by the